5/2/24 पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 26/3/24 को पेश हो।

26/3/24 पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 20/5/24 को पेश हो।

20/5/24 पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण ने बहस स्थगित कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 2/8/24 को पेश हो।

2/8/24 पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 11/11/24 को पेश हो।

अंगूठा निशान

11/11/24 पत्रावली पेश। अधि. प्रार्थीया हाजिर। अप्रार्थी सं. 1 से 9 की तामिल हो चुकी है, बावजूद तामिल हाजिर नहीं। अतः अप्रार्थी सं. 1 से 9 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। बहस प्रार्थी अधिवक्ता एकपक्षीय सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। मूल वाद बटवारे का है तथा दौराने वाद विवादित भूमि के मौके की स्थिति में परिवर्तन करने तथा हिस्सा विशेष भूमि का बेचान करने पर प्रार्थीया के हित प्रभावित हो सकते है। अतः विवादित भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखना उचित है। अतः अप्रार्थीगण के प्रति अस्थाई निषेधाज्ञा से अन्तरिम स्वरूप प्रदान किया जाता है कि वे विवादित भूमि ख.न. 1942/1118 रकबा 1.98 हैक्टर वाके ग्राम करायत तहसील व जिला सीकर की भूमि पर दौराने वाद मौके की यथास्थिति बनाये रखें व हिस्सा विशेष भूमि का बेचान नहीं करें। पत्रावली के साथ शुमार होकर नस्ती क्रम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।